न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः– श्रीमती कुसमलता चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 34/2021 ,

	वादी	बनाम	प्रतिवादी
1	प्रताप सिंह पुत्र भंवरसिंह	01	तहसीलदार, (भूमिधारक) सोजत
2	भगवानसिंह पुत्र भंवरसिंह		
3	बदामी पुत्री भंवरसिंह		
4	गुलाबी देवी पुत्री भंवरसिंह जातिगण रावत, निवासीगण गजनाई, तहसील सोजत, जिला पाली।		

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 एवं 92 ए आर0टी0एक्ट 1955

उपस्थितिः–

1. **श्री धर्मीचंद देवासी, अधिवक्ता वादीगण उपस्थित।**
2. **तहसीलदार सोजत प्रतिवादी स्वयं उपस्थित।**

–: निर्णय :– दिनांक – 22/05/2024

अधिवक्ता मय वादी ने राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 एवं 92 ए आर0टी0एक्ट 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण के प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सरहद मौजा ग्राम गजनाई, पटवार हल्का गुडाबींजा, तहसील सोजत में वादीगण के पिता भंवरसिंह की खातेदारी सुदा कब्जा सुदा कृषि भूमि खसरा नंबर 622/1075 रकबा 1.2500 हैक्टर की आई हुई है। जिस कृषि भूमि पर वादीगण का उनके पिता के समय से नियमित एवं शांति पूर्वक कब्जा चला आ रहा है। वादीगण के पिता श्री भंवरसिंह जी का आज से करीब 29 हो चुका है। लेकिन शिक्षा के अभाव में विधिवत खातेदारी वादीगण को प्राप्त नहीं हुई। साथ ही तत्कालीन पटवारी हल्का के द्वारा भी वारिशान से रूबरू होकर राजस्व रेकर्ड में खातेदारी की प्रक्रिया पूर्ण नहीं की, केवल मात्र गांवाई व पडौसी लोगों के कहने पर गलत राय से वादीगण के आधे अधुरे नाम दर्ज कर दिये, जिससे वादीगण को राजकीय व केन्द्रीय लाभों से वंचित होना पडता है। उक्त कृषि भूमि खसरा नंबर 622/1075 रकबा 1.2500 हैक्टर कृषि भूमि में संवत 2029–30 वादीगण के पिता भंवरसिंह का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज था, लेकिन सेटलमेन्ट के पश्चात तत्कालीन राजस्व अधिकारियों के द्वारा संवत 2048 से 2051 की जमाबंदी में भंवरसिंह दर्ज किया। जमाबंदी संवत 2052 से 2055 में, तथा संवत 2056 से 2059 तथा संवत 2060–263 व 2064–2068 की जमाबंदी में भी भंवरसिंह दर्ज किया तथा उसके पश्चात संवत 2076 से 2079 में की जमाबंदी में भंवरसिंह का 1/2 हिस्सा एवं रूपसिंह 1/2 हिस्सा दर्ज कर दिया। जबकि वादीगण के द्वारा पटवारी हल्का को सूचना दे दी कि उनके पिता का देहान्त हो चुका व उनकी माता का भी देहान्त हो चुका है, उनके नाम खातेदारी दर्ज की जावे। लेकिन पटवारी हल्का ने किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया। जिससे वाद विरूद्ध प्रतिवादी पेश कर सरहद मौजा ग्राम गजनाई, पटवार हल्का गुडाबीजा, तहसील सोजत में स्थित

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

कृषि भूमि खसरा नं 622/1075 की कृषि भूमि में वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित करने की ईश्तदुआ की है।

इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी जरिए सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार, सोजत ने जबाब दावा पेश कर पैरा संख्या 01 में वादस्थ भूमि ग्राम गजनाई में स्थित होना बताया। पैरा संख्या 2व 3 वर्णित तथ्य वादी स्वयं साबित करे एवं पैरा संख्या 04 से 8 कानूनी होना अंकित किया है।

तहसीलदार सोजत को न्यायालय हाजा के पत्रांक/कोर्ट/2021/1129 दिनांक 02.10.2021 राजस्व रेकर्ड व मौका स्थिति रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार, सोजत ने अपने पत्रांक/राजस्व/2021/3922 दिनांक 06.10.2021 को अपना जबाब दावा पेश कर अंकित किया है कि सरहद मौजा गजनाई में खसरा नंबर 622/1075 रकबा 1.25 है0 किस्म बा0दो0 भूमि में वर्तमान खातेदार भंवरसिंह रूपसिंह पि0 इन्द्रसिंह कौम रावत सा0 देह खातेदार दर्ज है। वक्त सेटलमेंट 2028–30 के खसरा बंदोबस्त में उपखण्ड अधिकारी महो0 की मिसल संख्या 174/1976 नियमन से खसरा नंबर 622/1075 में भंवरसिंह, डाउसिंह, रूपसिंह पि0 इन्द्रसिंह, दुर्गसिंह वल्द पितासिंह कौम रावत सा0 देह खातेदार दर्ज किया। उपरोक्त वंशावली सम्वत् 2048–2051 तक राजस्व रेकर्ड में सही दर्ज है किन्तु 2048–2051 की जमाबंदी में नामा0 संख्या 132 से भगवानसिंह, नाथुसिंह, ईश्वरसिंह, पानी तथा कंवरी नाम का अमल दरामद जमाबंदी में दर्ज है जो पूर्णतया गलत है क्योकि नामा0 संख्या 132 का अवलोकन करने पर पाया गया कि खसरा नंबर 622/1075 मे किसी प्रकार का नामा0 दर्ज नहीं हुआ है। संवत् 2051 के बाद में बने राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत् 2052–2055 में केवल भंवरसिंह, रूपसिंह पि0 इन्द्रसिंह एवं भगवानसिंह नाम दर्ज हो गया जो कि लिपिकिय त्रुटिवश हुआ है। खसरा नंबर 622/1075 रकबा 1.25 किस्म बा0दो0 में वक्त सेटलमेंट खसरा बंदोबस्त 2028–2030 में दर्ज नाम अनुसार विधि संगत खातेदार भंवरसिंह, डाउसिंह, रूपसिंह पि0 इन्द्रसिंह, दुर्गसिंह वल्द पितासिंह नाम दर्ज करना उचित है।

अधिवक्ता वादी मय वादी द्वारा प्रस्तुत वाद व प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जबाब दावा के आधार पर निम्नांकित तनकीयात कायम की गई–

1. आया वादस्थ भूमि में सेटलमेन्ट से पूर्व वादी के पिता बतौर खातेदार दर्ज थे।

–जिम्मे वादीगण

2. आया वादस्थ भूमि 1/2 हिस्से मे वादीगण खातेदार घोषित किये जाने के अधिकारी है।

–जिम्मे वादीगण

अधिवक्ता वादीगण द्वारा शहादत वादीगण के प्रस्तुत तस्दीक सुदा शपथ – पत्र प्रतापसिंह पुत्र भंवरसिंह वादी स्वयं पीडब्ल्यु 01, पर जिरह के बयान कलमबद्ध किये गये, सा0मि0 है,। अन्य शहादत वादीगण पेश नही करना चाहने

उपखण्ड अधिकारी, सोजत (राज.)

से शहादत वादीगण दिनांक 15.09.2022 को बन्द की गई। शहादत प्रति पेश नही करने से बन्द की जाकर बहस वकील वादी व तहसीलदार सोजत सुनी गई।

बहस अधिवक्ता वादीगण तथा प्रतिवादी सं0 02 तहसीलदार सोजत सुनी गई। अधिवक्ता वादीगण में बहस के दौरान व्यक्त किया कि खसरा नंबर 622/1075 रकबा 1.2500 हैक्टर कृषि भूमि में संवत 2029–30 वादीगण के पिता भंवरसिंह का नाम राजस्व रेकर्ड, में दर्ज था, लेकिन सेटलमेन्ट के पश्चात तत्कालीन राजस्व अधिकारियों के द्वारा संवत 2048 से 2051 की जमाबंदी में भंवरसिंह दर्ज किया। जमाबंदी संवत 2052 से 2055 में, तथा संवत 2056 से 2059 तथा संवत 2060–263 व 2064–2068 की जमाबंदी में भी भंवरसिंह दर्ज किया तथा उसके पश्चात संवत 2076 से 2079 में की जमाबंदी में भंवरसिंह का 1/2 हिस्सा एवं रूपसिंह 1/2 हिस्सा दर्ज कर दिया। जबकि वादीगण के द्वारा पटवारी हल्का को सूचना दे दी कि उनके पिता का देहान्त हो चुका व उनकी माता का भी देहान्त हो चुका है, उनके नाम खातेदारी दर्ज की जावे। लेकिन पटवारी हल्का ने किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया। वादी का नाम विलोपित कर दिया गया। इसके पश्चात जमाबन्दी वर्ष 2076 से 79 में भगवानसिंह का भी नाम हटा दिया गया। उक्त त्रुटिया आगे से आगे पश्चातवृति जमाबन्दी में यथावत चला आ रहा हैं। जिससे दुरूस्त किया जाकर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। जबाब बहस में प्रतिवादी सं0 02 तहसीलदार सोजत ने दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अनुतोष प्रदान करने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया।

वस्तुतः उक्त वाद प्रकरण में कायम की गई तनकीयात का प्रस्तुत वाद पत्र के परिपेक्ष्य में प्रस्तुत जबाब दावा साक्ष्य सबूतों के दस्तावेजात, गवाहान के मुख्य परीक्षण एवं जिरह प्रतिवादी पर लिये गये बयानात तथा राजस्व रेकर्ड के आधार पर बाद विवेचन/विश्लेषण कर तनकीवार विनिश्चय निम्नांकित रूप से किया जाता है–

1. आया वादस्थ भूमि मे सेटलमेन्ट से पूर्व वादी के पिता के पिता बतौर खातेदार दर्ज थे।

–जिम्मे वादीगण

अधिवक्ता वादीगण ने शहादत वादीगण में प्रस्तुत शपथ पत्रो व तहसीलदार सोजत की रिपोर्ट दिनांक 06.10.2023 के अनुसार सरहद मौजा गजनाई में खसरा नंबर 622/1075 रकबा 1.25 है0 किस्म बा0दो0 भूमि में वर्तमान खातेदार भंवरसिंह रूपसिंह पि0 इन्द्रसिंह कौम रावत सा0 देह खातेदार होना बताया है। रिपोर्ट में यह भी अंकन किया गया है कि वक्त सेटलमेंट 2028–30 में खसरा नंबर 622/1075 में भंवरसिंह, डाउसिंह, रूपसिंह पि0 इन्द्रसिंह दुर्गसिंह वल्द पितासिंह कौम रावत सा0 देह खातेदार दर्ज किया। उपरोक्त वंशावली सम्वत् 2048–2051 तक राजस्व रेकर्ड में सही दर्ज है किन्तु 2048–2051 की जमाबंदी में नामा0 संख्या 132 से भगवानसिंह, नाथुसिंह, ईश्वरसिंह, पानी तथा कंवरी नाम का अमल दरामद जमाबंदी में दर्ज है जो पूर्णतया गलत है क्योकि नामा0 संख्या 132 का अवलोकन करने पर पाया गया कि खसरा नंबर 622/1075 मे किसी प्रकार का नामा0 दर्ज नहीं हुआ है। संवत् 2051 के बाद में बने राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

2052–2055 में केवल भंवरसिंह, रूपसिंह पि0 इन्दररिंह एवं भगवानसिंह नाम दर्ज हो गया जो कि लिपिकिय त्रुटिवश हुआ है। खसरा नंबर 622/1075 रकबा 1.25 किस्म बा0दो0 में वक्त सेटलमेंट खसरा बंदोबस्त 2028–2030 में दर्ज नाम अनुसार विधि संगत खातेदार भंवरसिंह, डाउसिंह, रूपरिंह पि0 इन्द्ररिंह वल्द पितासिंह नाम दर्ज करना उचित है बताया गया है। भूमिधारी तहसीलदार सोजत द्वारा अपनी रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि तत्कालिन राजस्व अधिकारीयों द्वारा दुर्गरिंह के विधिक वारिसानों की जॉच किये बिना ही दुर्गरिंह का नाम राजस्व रेकर्ड मे से सेवन से विलोपित कर दिया गया। इससे स्पष्ट होता है कि वादस्थ भूमि वादीगण के दादा/दादी ससूर दुर्गसिंह की खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि है। लिहाजा तनकी संख्या 01 बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी तय की जाती है।

2. आया वादस्थ भूमि 1/2 हिस्से में वादीगण खातेदार धोषित किये जाने के अधिकारी है।

– जिम्मे वादीगण

तहसीलदार सोजत की रिपोर्ट दिनांक 06.10.2023 के अनुसार सरहद मौजा गजनाई में खसरा नंबर 622/1075 रकबा 1.25 है0 किस्म बा0दो0 भूमि में वर्तमान खातेदार भंवरसिंह रूपसिंह पि0 इन्द्रसिंह कौम रावत सा0 देह खातेदार होना बताया है। रिपोर्ट में यह भी अंकन किया गया है कि वक्त सेटलमेंट 2028–30 में खसरा नंबर 622/1075 में भंवरसिंह, डाउसिंह, रूपसिंह पि0 इन्द्रसिंह दुर्गसिंह वल्द पितासिंह कौम रावत सा0 देह खातेदार दर्ज किया। उपरोक्त वंशावली सम्वत् 2048–2051 तक राजस्व रेकर्ड में सही दर्ज है किन्तु 2048–2051 की जमाबंदी में नामा0 संख्या 132 से भगवानसिंह, नाथुसिंह, ईश्वरसिंह, पानी तथा कंवरी नाम का अमल दरामद जमाबंदी में दर्ज है जो पूर्णतया गलत है क्योकि नामा0 संख्या 132 का अवलोकन करने पर पाया गया कि खसरा नंबर 622/1075 मे किसी प्रकार का नामा0 दर्ज नहीं हुआ है। संवत् 2051 के बाद में बने राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत् 2052–2055 में केवल भंवरसिंह, रूपसिंह पि0 इन्दररिंह एवं भगवानसिंह नाम दर्ज हो गया जो कि लिपिकिय त्रुटिवश हुआ है। खसरा नंबर 622/1075 रकबा 1.25 किस्म बा0दो0 में वक्त सेटलमेंट खसरा बंदोबस्त 2028–2030 में दर्ज नाम अनुसार विधि संगत खातेदार भंवरसिंह, डाउसिंह, रूपसिंह पि0 इन्द्रसिंह वल्द पितासिंह नाम दर्ज करना उचित है बताया गया है। भूमिधारी तहसीलदार सोजत द्वारा अपनी रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि तत्कालिन राजस्व अधिकारीयों द्वारा दुर्गसिंह के विधिक वारिसानों की जॉच किये बिना ही दुर्गसिंह का नाम राजस्व रेकर्ड मे से सेवन से विलोपित कर दिया गया। लिहाजा तनकी संख्या 02 बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी तय की जाती है।

वस्तुतः सरहद मौजा गजनाई के खसरा नंबर 622/1075 रकबा 1.2500 हैक्टर किस्म बा0दो0 मूल पुरूष भवरसिंह व अन्य सह खातेदारो को नियमन की गई थी। भवरसिंह के क्रमशः वारिसान प्रतापसिंह, भगवानसिह, बदामीदेवी, गुलाबीदेवी, फुलीदेवी हुई जिसमें फुलीदेवी का देहान्त हो चुका है। मूल पुरूष भवरसिंह की मृत्यु के पश्चात दर्ज नामान्तरकरण संख्या 132 में अशोकसिंह के स्थान पर नाथुसिंह गलत दर्ज कर दिया गया जबकि नाथुसिंह नाम का कोई वारिस डाउसिंह के नही था। नाथुसिंह के स्थान पर अशोकसिंह दर्ज किया जाना

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

चाहिए था जो नही किया गया। उक्त नामान्तरकरण में से बनी जमाबन्दी सम्वत 2048 से 51 में डाउसिंह के स्थान पर भगवानसिंह पुत्र ईश्वरसिह , नाथुसिंह पुत्र डाउसिंह, पानी , कवरी बेवा डाउसिंह दर्ज किया गया। यहा भगवानसिंह के पिता का नाम ईश्वरसिंह दर्ज कर दिया गया जबकि ईश्वरसिंह डाडसासिंह का पुत्र व भगवानसिंह का भाई है। आगामी जमाबन्दी संम्वत 2056 से 59 में डाउसिंह के मात्र भगवानसिंह को वारिस बताते हुए अन्य खातेदारो का नाम विलोपित कर दिया गया। इसके पश्चात जमाबन्दी सम्वत 2076 से 79 में भगवानसिंह का भी नाम हटा दिया गया। जो इन्द्राज आगे से आगे पश्चातवृति जमाबन्दी में यथावत चला आ रहा हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि तत्कालिन राजस्व अधिकारी / कर्मचारी द्वारा भवरसिंह के विधिक वारिसान को वादस्थ भूमि मे खातेदारी अधिकार देने में भूल हुई है। लिहाजा अधिवक्ता मयं वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा गजनाई के खसरा नंबर 622/1075 रकबा 1.2500 हैक्टर किस्म बा0दो0 कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में भवरसिंह के विधिक वारिसान वादीगण प्रतापसिह पुत्र भंवरसिह, भगवानसिह पुत्र भंवरसिह बदामी पुत्री भंवरसिह , गुलाबी पुत्री भंवरसिह को अन्य सह खातेदारों के साथ वादस्थ भूमि में प्रत्येक को 1/30 हक हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वादीगण का नाम तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु तहसीलदार, सोजत को आदेशित किया जाना उचित समझते है।

–::आदेश::–

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा गजनाई के खसरा नंबर 622/1075 रकबा 1.2500 हैक्टर किस्म बा0दो0 कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में भवरसिंह के विधिक वारिसान वादीगण भवरसिंह के विधिक वारिसान वादीगण प्रतापसिह पुत्र भंवरसिह, भगवानसिह पुत्र भंवरसिह बदामी पुत्री भंवरसिह , गुलाबी पुत्री भंवरसिह को अन्य सह खातेदारों के साथ वादस्थ भूमि में प्रत्येक को 1/30 हक हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादीगण का नाम तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु तहसीलदार, सोजत को आदेशित किया जाता है। डिक्री पर्चा पृथक से मूर्तिब किया जाकर पत्रावली बद्ध किया जावें। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय व डिक्री पर्चा की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 20/05/2024 को सरे ईजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

[illegible]

(आ020 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारी श्रीमती कुसुमलता चौहान आर0ए0एस0

वादीगण बनाम प्रतिवादी

1 प्रताप सिंह पुत्र भंवरसिंह 01 तहसीलदार, (भूअभिलेख) सोजत
2 भगवानसिंह पुत्र भंवरसिंह ,
3 बदामी पुत्री भंवरसिंह
4 गुलाबी देवी पुत्री भंवरसिंह
जातिगण रावत, निवासीगण
गजनाई, तहसील सोजत,
जिला पाली।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 एवं 92 ए आर0टी0एक्ट 1955

राजस्व वाद संख्या :– 29/2021

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कराई रूबरू हमारे व हाजिरी अधिवक्ता वादी श्री धर्मीचन्द देवासी अधिवक्ता वादीगण एवं प्रतिवादी तहसीलदार, सोजत पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा गजनाई के खसरा नंबर 622/1075 रकबा 1.2500 हैक्टर किस्म बा0दा0 कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में भवरसिंह के विधिक वारिसान वादीगण भवरसिंह के विधिक वारिसान वादीगण प्रतापसिह पुत्र भंवरसिह, भगवानसिह पुत्र भंवरसिह बदामी पुत्री भंवरसिह, गुलाबी पुत्री भंवरसिह को अन्य सह खातेदारों के साथ वादग्रस्त भूमि में प्रत्येक को 1/30 हक हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादीगण का नाम तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु तहसीलदार, सोजत को आदेशित किया जाता है। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय व डिक्री पर्चे की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

मीजान – मुबलिग – बाबत --

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की, अदा करें।

बशिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक [illegible]

को जारी की गई।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला-पाली

मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प अरजीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकलतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य	मुतफर्रिक	शून्य	शून्य
मतफर्रिक	शून्य	शून्य			